

ऑनलाइन डाटा अपलोड करने हेतु इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष-2026 का आवेदन-पत्र

अग्रसारण/पत्राचार पंजीकरण केन्द्र के प्रधानाचार्य, परीक्षार्थी द्वारा संलग्न किये गये सभी आवश्यक अर्हता सम्बन्धी प्रपत्रों की गहनता से जांच करेंगे और उनके सत्य पाये जाने पर ही आवेदनपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर परीक्षार्थी के विवरणों के साथ ही उसके अर्हता प्रपत्रों की प्रमाणित स्कैन कापी परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत आनलाईन अग्रसारित/अपलोड करेंगे इसके साथ ही परीक्षार्थी के सत्य पाये गये सभी अर्हता सम्बन्धी प्रपत्रों को इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

- परीक्षार्थी का पासपोर्ट साइज का
फोटो यहाँ लगाया जायेगा।
फोटो के ऊपर मुहर एवं हस्ताक्षर
अंकित न किया जाय।
फोटो के पीछे परीक्षार्थी का एवं
उसके पिता का नाम अवश्य
अंकित किया जाय।
बिना फोटो लगा आवेदन-पत्र
निरस्त कर दिया जाय।
स्कैनिंग हेतु एक अतिरिक्त फोटो
भी संलग्न की जाय।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

11.

[illegible]

16.

[illegible]

20.

[illegible]

21.			22.	23.
हार्ड स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा अनुक्रमांक अंकित करें			परीक्षार्थी का 12 अंकीय आधार नम्बर	परीक्षार्थी का 10 अंकीय मोबाइल नम्बर
परीक्षा संस्था (बोर्ड) का नाम	वर्ष	अनुक्रमांक		

परीक्षार्थी की श्रेणी (परीक्षार्थी टाइप)– परीक्षार्थी निम्नांकित क्रम 24 से 32 तक की जिस श्रेणी से सम्बन्धित हो केवल उस श्रेणी की सूचनाओं को ही अंकित करें:–

24. इण्टरमीडिएट वर्ष 2026 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से परीक्षार्थी का इण्टरमीडिएट में अनुत्तीर्ण होने सम्बन्धी विवरण:–

इण्टरमीडिएट अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

विद्यालय का नाम जहां से अनुत्तीर्ण हुआ है.....

जनपद एवं विद्यालय का कोड जहां से अनुत्तीर्ण हुआ है:–जनपद कोड.....विद्यालय कोड.....

25. इण्टरमीडिएट वर्ष 2026 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा–12 के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद के एक वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थियों हेतु

एक वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने का वर्ष.....पत्राचार पंजीकरण संख्या(14 अंकीय).....

एक वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले केन्द्र का विद्यालय कोड एवं नाम.....

कक्षा–11 उत्तीर्ण करने का वर्ष..... कक्षा–11 की अग्रिम पंजीकरण संख्या.....

विद्यालय का नाम जहां से कक्षा–11 में अग्रिम पंजीकरण हुआ है.....

बोर्ड का नाम जहां से कक्षा–11 में अग्रिम पंजीकरण हुआ है.....

जनपद एवं विद्यालय का कोड जहां से अग्रिम पंजीकरण हुआ है:–जनपद कोड.....विद्यालय कोड.....

26. इण्टरमीडिएट वर्ष 2026 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान उ0प्र0 इलाहाबाद के दो वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले परीक्षार्थियों हेतु

दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने का वर्ष.....पत्राचार पंजीकरण संख्या(14 अंकीय).....

दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराने वाले केन्द्र का नाम.....

27. विधि द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा बोर्डों से परीक्षार्थी का कक्षा–11 उत्तीर्ण होने अथवा इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने सम्बन्धी विवरण:–

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से कक्षा–11 उत्तीर्ण किया है.....

कक्षा–11 उत्तीर्ण करने का वर्ष.....कक्षा–11 की पंजीकरण संख्या.....

विद्यालय का पूरा नाम जहां से कक्षा–11 उत्तीर्ण हुआ है.....

अथवा

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

विद्यालय का पूरा नाम जहां से अनुत्तीर्ण हुआ है.....

28–पूर्व में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र/छात्रा जो उत्तीर्ण कर चुके विषयों के अतिरिक्त परिषद विनियम के अन्तर्गत अन्य विषयों (एक साथ अधिकतम 4 विषयों) में सम्मिलित होना चाहते हैं।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

विषयों का कोड एवं नाम जिसमें सम्मिलित होना है 1.....2.....3.....4.....

नोट:– विनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी केवल एक ही विषयवर्ग के अन्तर्गत निर्धारित विषयों में से ही अपने विषय का चयन कर सकते हैं, अर्थात् दो भिन्न विषयवर्गों में निर्धारित विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता है।

किसी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विनियम के अन्तर्गत परीक्षा देने हेतु उस विषय का चयन पुनः नहीं किया जा सकता है।

29—कारागार में निरुद्ध बन्दी छात्र/छात्रा।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है.....

हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

अथवा

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

कारागार का नाम जहां परीक्षार्थी निरुद्ध है.....

30—भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत सैन्यकर्म।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है

हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

अथवा

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण है.....

इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण होने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

सैन्य कर्म भारतीय सेना की किस रेजीमेन्ट में कार्यरत है.....

नोट:—सैन्य कर्म को सेना का अपना पहचानपत्र /नियुक्तिपत्र की प्रमाणित फोटोप्रति इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

31—कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात आई0टी0आई0 उत्तीर्ण छात्र/छात्रा जो इण्टरमीडिएट की समकक्षता प्राप्त करने हेतु विनियमों के अन्तर्गत केवल हिन्दी/सामान्य हिन्दी विषय से इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

शिक्षा बोर्ड का नाम जहां से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है

हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

आई0टी0आई परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष..... अनुक्रमांक.....

संस्था का नाम व पता जहां से आई0टी0आई परीक्षा उत्तीर्ण की है.....

32— परीक्षार्थी की श्रेणी (परीक्षार्थी टाइप-2)(✓ करें)

दृष्टि— बाधित	मूक— बधिर	हाथ से दिव्यांग	दिव्यांग (चलने फिरने में पूर्ण अक्षम)	अन्य 21 प्रकार के दिव्यांग

33— परीक्षार्थी की ई—मेल आई0डी0 —

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आवेदनपत्र की समस्त प्रविष्टियों की जांच कर ली गई है, समस्त विवरण शुद्ध एवं सत्य हैं। परीक्षार्थी के कक्षा-11 के अग्रिम पंजीकरण कार्ड की तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुत्तीर्ण के अंकपत्र की वैधता की जांच परिषद की वेबसाइट upmp.edu.in से कर ली गई है, जो वैध एवं सत्य है। विधि द्वारा स्थापित अन्य शिक्षा बोर्डों के अभ्यर्थियों के संलग्न अर्हता प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से कर ली गयी है, जो वैध एवं सत्य है।

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

स्थायी पता.....

पत्रव्यवहार का पता.....

जांचकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक:

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर

एवं मुहर

नोट:— 1—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये(यथास्थिति) एक वर्षीय/दो वर्षीय पत्राचार अनुसरण प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। केवल उपर्युक्त परीक्षार्थी टाइप-2 के श्रेणी 1 से 2 तक के दृष्टि—बाधित, चलने फिरने में पूर्णतया अक्षम, एवं भारतीय सेना में नियमित कार्यरत, अथवा गत वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पत्राचार अनुसरण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत कोई परीक्षार्थी (कम्प्यूटर, कृषि वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) अधिकतम चार विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

2— परीक्षार्थी यदि कहीं सेवा(नौकरी) करता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति एवं सचचरित्रता का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण परीक्षार्थी ने स्वयं भरा है जो उसके द्वारा इस विद्यालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अनुसार सत्य हैं।

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी का घोषणा-पत्र/अनुबन्ध-पत्र

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज

महोदय,

मैं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 में व्यक्तिगत छात्र के रूप में सम्मिलित होने की प्रार्थना करता/करती हूँ। मैंने निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं अंकपत्र शुल्क जमा कर दिया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि परीक्षा अवधि में न तो कोई अवैध सामग्री अपने साथ ले जाऊंगा/जाऊंगी और न ही किसी तरह के अनुचित साधन का प्रयोग करूंगा/करूंगी। इस आवेदनपत्र में अंकित सभी विवरण सत्य हैं तथा मेरे द्वारा उपर्युक्त विषयों का संयोजन वर्गानुसार है। मैंने कोई असंगत विषय नहीं लिया है। आवेदनपत्र के समस्त स्तम्भों की पूर्ति मैंने स्वयं की है। मैंने परीक्षा के लिये वही विषय चयनित किये हैं जो परिषद के विनियमों के अनुसार मान्य हैं। इस आवेदनपत्र को भरने में मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। मैंने इस वर्ष 31 जुलाई के पश्चात किसी भी शिक्षा संस्था में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है तथा मैं इस परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष किसी अन्य परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में भी इस वर्ष सम्मिलित नहीं हो रहा/रही हूँ। मैंने हाईस्कूल की परीक्षा अनुक्रमांक..... से वर्ष..... में उत्तीर्ण कर ली है। मेरा इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल अभी तक रुका है जिसका वर्ष..... अनुक्रमांक..... है। इस रुके परीक्षाफल के सम्बन्ध में निर्णय की सूचना मिलते ही आदेश-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि परिषद कार्यालय को अविलम्ब भेज दूंगा। रुके परीक्षाफल के सम्बन्ध में तथा उसके आधार पर वर्ष 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने/न होने के सम्बन्ध में परिषद का जो भी निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा। इस आवेदनपत्र के अलावा मैंने किसी अन्य विद्यालय से अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से अपना संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदनपत्र अग्रसारित एवं ऑनलाइन नहीं कराया है। किसी प्रकार का असत्य विवरण पाये जाने अथवा मेरे द्वारा भरे हुए दो आवेदनपत्र पाये जाने की स्थिति में मेरा परीक्षार्थित्व स्वतः निरस्त समझा जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इसके लिये परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर.

दिनांक :

घर का पूरा पता(स्थायी पता)–

पत्र व्यवहार का पता–

परीक्षार्थी का मोबाइल नम्बर–

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

एवं विद्यालय की मुहर।

परीक्षार्थी के पिता/अभिभावक की घोषणा

मैं यह सत्यतापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे पाल्य ने किसी भी अन्य विद्यालय से अथवा किसी अन्य शिक्षा बोर्ड से वर्ष 2026 की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके किसी समकक्ष परीक्षा का आवेदनपत्र संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में नहीं भरा है। जांचोपरांत किसी भी स्तर पर ऐसी स्थिति प्रकाश में आने पर यदि परिषद द्वारा मेरे पाल्य का वर्ष 2026 की इण्टरमीडिएट परीक्षा का आवेदन/परीक्षार्थित्व निरस्त किया जाता है तब इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने आवेदन में अपने पाल्य के सभी विवरणों यथा परीक्षार्थी एवं उसके माता पिता के नामों की स्पेलिंग, जन्मतिथि एवं विषयों की जांच कर ली है वे बिल्कुल सही हैं।

पिता/अभिभावक का नाम.....

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर.....

स्थायी पता.....

मोबाइल नम्बर.....

अग्रसारण अधिकारी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नाम के परीक्षार्थी /परीक्षार्थिनी जिसका फोटो मैंने सत्यापित किया है, वह परिषद के विनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2026 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य है। परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी ने मेरे समक्ष परीक्षा आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी ने परिषद की हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। मैंने उसके उक्त परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र को देख लिया है। मैं इसके आचरण के विरुद्ध कोई बात नहीं जानता/जानती जिससे वह परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य समझा/समझी जाय। परीक्षार्थी ने वही वर्ग तथा विषय लिया जो परिषद के विनियमों के अनुसार मान्य हैं। परीक्षार्थी द्वारा उपर्युक्त विषयों की जाँच मैंने भली भँति कर ली है। परीक्षार्थी के विषयों का संयोजन (कम्बिनेशन) वर्गानुसार मान्य है। किसी असंगत विषय का चयन नहीं किया है। परीक्षार्थी का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जा चुका है।

दिनांक

संलग्नक–

अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर

इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के लिये निर्देश एवं विषय कोड एवं विषयों के नाम तथा वर्गानुसार विषयों का चयन

- 1- आवेदन-पत्र की समस्त सूचनायें निर्देशानुसार भरी जायेंगी।
- 2- आवेदन-पत्र के कम (1) से (4) की सूचनायें प्रधानाचार्य द्वारा भरी जायेंगी।
- 3- वर्ष 2025 की इण्टरमीडिएट संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषय वर्गों के अनुसार 5 विषयों की परीक्षा ली जायेगी। कृषि भाग-2 हेतु छः विषय निर्धारित हैं।

निर्धारित विषय वर्ग का नाम एवं कोड: (1).मानविकी वर्ग-A (2).वैज्ञानिक वर्ग-B (3).वाणिज्य वर्ग-C
(4).कृषि वर्ग भाग-एक -F₁ (5).कृषि वर्ग भाग-दो -F₂ (6).व्यावसायिक वर्ग-I

मानविकी वर्ग-(A)

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, तथा निम्नलिखित (क) से (घ) तक के वैकल्पिक विषयों में से कोई चार विषय -

(क)-निम्नांकित में से एक भारतीय भाषा :-

103-संस्कृत	104-उर्दू	105-गुजराती	106-पंजाबी	107-बंगाली	108-मराठी
109-आसामी	110-उड़िया	111-कन्नड़	112-रिक्त	113-सिन्धी	114-तमिल
115-तेलुगू	116-मलयालम	121-नेपाली।			

(ख)-निम्नांकित में से एक विदेशी भाषा :-

117-अंग्रेजी।

(ग)-निम्नांकित में से एक शास्त्रीय भाषा :-

124-पाली; 125-अरबी; 126-फारसी।

नोट:- मानविकी वर्ग में अनिवार्य भाषा हिन्दी/सामान्य हिन्दी सहित अधिकतम तीन भाषाओं का ही चयन किया जा सकता है।

(घ)- 128-इतिहास; 129-भूगोल; 130-नागरिकशास्त्र; 131-गणित; 132-सैन्यविज्ञान; 133-मनोविज्ञान अथवा 134-शिक्षाशास्त्र अथवा 137-तर्कशास्त्र; 135-गृहविज्ञान; 136-अर्थशास्त्र; 138-संगीत(गायन) अथवा 139-संगीत(वादन) अथवा 150-नृत्यकला; 140-चित्रकला(आलेखन) अथवा 141-चित्रकला(प्रावैधिक) अथवा 149-रंजनकला; 142-समाजशास्त्र; 144-कम्प्यूटर; 145-काष्ठशिल्प अथवा 146-ग्रन्थशिल्प अथवा 147-सिलाई; 174-मानव विज्ञान; 175-एन0सी0सी0।
(नोट:-एन0सी0सी0 विषय को केवल मानविकी वर्ग में लागू किया गया है।)

विज्ञान वर्ग-(B)

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

निम्नलिखित में से कोई चार विषय

151-भौतिक विज्ञान; 152-रसायन विज्ञान; 153-जीव विज्ञान अथवा 131-गणित; 144-कम्प्यूटर; भाषाओं के निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से **कोई दो विषय।**

(क)-निम्नांकित में से एक भारतीय भाषा :-

103-संस्कृत	104-उर्दू	105-गुजराती	106-पंजाबी	107-बंगाली	108-मराठी
109-आसामी	110-उड़िया	111-कन्नड़	112-रिक्त	113-सिन्धी	114-तमिल
115-तेलुगू	116-मलयालम	121-नेपाली।			

(ख)-निम्नांकित में से एक विदेशी भाषा :-

117-अंग्रेजी।

(ग)-निम्नांकित में से एक शास्त्रीय भाषा :-

124-पाली; 125-अरबी; 126-फारसी।

नोट:- विज्ञान वर्ग में अनिवार्य भाषा हिन्दी/सामान्य हिन्दी सहित अधिकतम तीन भाषाओं का ही चयन किया जा सकता है।

वाणिज्य वर्ग-(C)

अनिवार्यविषय-

102-सामान्य हिन्दी; 156-लेखाशास्त्र(Accountancy); 157-व्यवसाय अध्ययन(Business Studies); 173-नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

निम्नलिखित में से कोई दो विषय

117-अंग्रेजी; 131-गणित। 136-अर्थशास्त्र; 144-कम्प्यूटर.

कृषि वर्ग भाग-एक (प्रथम वर्ष परीक्षा) -(F₁)

अग्रांकित सभी विषय अनिवार्य हैं- 163-शस्यविज्ञान; 164-कृषि वनस्पतिविज्ञान; 165-कृषि भौतिकविज्ञान एवं जलवायुविज्ञान; 166-कृषि अभियंत्रण; 167-कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी।

नोट :- हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षा कृषि भाग-1 प्रथम वर्ष में नहीं ली जायेगी। इस विषय की परीक्षा कृषि भाग-2 (द्वितीय वर्ष) में एक वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर ली जायेगी।

कृषि वर्ग भाग-दो (द्वितीय वर्ष परीक्षा) -(F₂)

अनिवार्य विषय- 101-हिन्दी अथवा 102-सामान्य हिन्दी, 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।

अग्रांकित सभी विषय अनिवार्य हैं- 168-शस्यविज्ञान; 169-कृषि अर्थशास्त्र; 170-कृषि जन्तुविज्ञान; 171-कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्साविज्ञान; 172-कृषि रसायन विज्ञान।

6
व्यावसायिक वर्ग-(I)

प्रथम अनिवार्य विषय- 102-सामान्य हिन्दी (व्यावसायिक वर्ग के परीक्षार्थी 101-हिन्दी विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।)

द्वितीय अनिवार्य विषय- 201-सामान्य आधारीक विषय

तृतीय अनिवार्य विषय- निम्नलिखित 42 व्यावसायिक ट्रेड विषयों में से कोई एक ट्रेड विषय :-

202-फल एवं खाद्य संरक्षण; 203-पाकशास्त्र; 204-परिधान रचना एवं सज्जा; 205-धुलाई तथा रंगाई; 206-बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी; 207-टेक्सटाइल डिजाइन; 208-बुनाई तकनीक; 209-नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध; 210-पुस्तकालय विज्ञान; 211-बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मिक (लेबोरेटरी तकनीक सहित); 212-रंगीन फोटोग्राफी, 213-रेडियों एवं रंगीन टेलीविजन, 214-आटोमोबाइल्स; 215-मधुमक्खी पालन; 216-डैरी प्रौद्योगिकी; 217-रेशमकीट पालन; 218-बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी; 219-फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी; 220-पौधशाला; 221-भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार; 222-एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण, 223-बैकिंग, 224-आशुलिपि एवं टंकण(हिन्दी); 225-आशुलिपि एवं टंकण(अंग्रेजी), 226-विपणन एवं विक्रयकला; 227-सचिवीय पद्धति; 228-बीमा; 229-सहकारिता; 230-टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी; 231-मुद्रण; 232-कुलालविज्ञान; 233-कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक; 234-इम्प्राइडरी; 235-हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग; 236-मेटलकापट(मोलिडिंग); 237-मेटलकापट(इनग्रेविंग); 238-कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स(डाटा इन्ट्री प्रोसेस); 239-घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख रखाव; 240-रिटेल ट्रेडिंग; 241-सेक्योरिटी; 242-मोबाइल रिपैरिंग; 243-टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी; 244-आईटीआई/आईटीआईएस; 245-हेल्थ केयर।

चतुर्थ वैकल्पिक विषय- निम्नांकित विषयों में से कोई एक विषय :-

103-संस्कृत	104-उर्दू	105-गुजराती	106-पंजाबी	107-बंगाली	108-मराठी
109-आसामी	110-उड़िया	111-कन्नड	112-रिक्त	113-सिन्धी	114-तमिल
115-तेलुगू	117-अंग्रेजी	116-मलयालम	121-नेपाली	124-पाली	125-अरबी
126-फारसी					
128-इतिहास	129-भूगोल	130-नागरिकशास्त्र	131-गणित	132-सैन्यविज्ञान	133-मनोविज्ञान
134-शिक्षाशास्त्र	137-तर्कशास्त्र	135-गृहविज्ञान	136-अर्थशास्त्र	138-संगीत(गायन)	139-संगीत(वादन)
140-चित्रकला(आलेखन)	141-चित्रकला(प्रावैधिक)	142-समाजशास्त्र			
151-भौतिक विज्ञान	152-रसायन विज्ञान	153-जीव विज्ञान,			

174-मानव विज्ञान, 200-वैकल्पिक शस्य विज्ञान.

नोट-1-एक बार सम्पूर्ण विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए परीक्षार्थी यदि अपने उत्तीर्ण किये हुये विषयों को छोड़कर किसी अन्य विषय/विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तब वे परिषद के विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत (कम्प्यूटर, कृषि भाग-1, कृषि भाग-2 तथा व्यावसायिक वर्ग के विषय को छोड़कर) अधिकतम चार अतिरिक्त विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

2- परिषद के विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत कोई भी परीक्षार्थी एक से अधिक वर्गों के विषयों का एक साथ चयन कर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।

नोट:- 1-सभी वर्गों के परीक्षार्थियों हेतु विषय 173- नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से ली जायेगी। परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का अंकन उसके अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर किया जायेगा।

परीक्षार्थियों हेतु अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण निर्देश

- 1- परीक्षार्थी ने एकबार जिस विषय/विषयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो दुबारा उसमें परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
- 2- आवेदनपत्र के निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी का पासपोर्ट साइज का ब्लैक एण्ड व्हाइट/रंगीन फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 3- **कोई परीक्षार्थी किसी भी दशा में दो विद्यालयों से संस्थागत/व्यक्तिगत आवेदनपत्र ऑनलाइन अग्रसारित नहीं करायेगा अन्यथा उसके सभी आवेदनपत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित परीक्षार्थी का होगा।**
- 4- विनियम-17(2) अध्याय बारह के अन्तर्गत परीक्षार्थी (कम्प्यूटर, कृषि वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के विषयों को छोड़कर) अधिकतम चार विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।
- 5- किसी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी को अध्याय-12 के विनियम 17(2) के अन्तर्गत कम्प्यूटर, कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग के विषयों में परीक्षा देने की अनुमति नहीं है।
- 6- **कृषि एवं व्यावसायिक वर्ग** के विषयों में केवल उन वर्गों के **गत वर्ष/वर्षों के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी** ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अपना व्यक्तिगत आवेदन पत्र भर सकेंगे।
- 7- मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग में **कम्प्यूटर विषय** में केवल इस विषय के गत वर्ष के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
- 8- **विनियम के अन्तर्गत परीक्षार्थी केवल एक ही विषयवर्ग के अन्तर्गत निर्धारित विषयों में से ही अपने विषय का चयन कर सकता है, अर्थात् दो भिन्न विषयवर्गों में निर्धारित विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता है।**
- 9- **किसी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विनियम के अन्तर्गत परीक्षा देने हेतु उस विषय का चयन पुनः नहीं किया जा सकता है।**

नोट:- अन्य परीक्षा संस्था/परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये परीक्षार्थियों को अपने अर्हता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों को अग्रसारण विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा संस्था/परिषद् से उत्तीर्ण परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह अस्थायी प्रमाण-पत्र के साथ उक्त परीक्षा संस्था/परिषद् का इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने वास्तव में उक्त परीक्षा संस्था/परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण की है, किन्तु प्रमाण-पत्र परीक्षा वर्ष से पूर्व की 1 जुलाई तक जारी नहीं किया गया है।

आवेदन-पत्र के संलग्नक

पूरित आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्रों की प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो कापी संलग्न किया जाना अनिवार्य है :

(1)-हाईस्कूल अंक-पत्र, (2)-हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (3) कक्षा-11 का रजिस्ट्रेशन कार्ड (4)-कक्षा-11 उत्तीर्ण करने का अंक-पत्र (5)- पत्राचार अनुसार प्रमाण-पत्र एक वर्षीय अथवा दो वर्षीय यथास्थिति (6)-इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुत्तीर्ण अंक-पत्र (7)-यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य परीक्षा संस्था/बोर्ड/विद्यालय से छात्र ने कक्षा-11 की परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा कक्षा-12 अनुत्तीर्ण हो तो उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण अंक-पत्र के साथ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो कापी।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्राप्ति रसीद

मैंने परीक्षार्थी.....से उसका ऑनलाइन डाटा अपलोड करने हेतु इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष-2026 का आवेदन-पत्र, उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता सम्बन्धी समस्त आवश्यक प्रपत्र एवं परीक्षा शुल्क रु0.....नगद धनराशि के रूप में प्राप्त किया है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
विद्यालय की मुहर

Subject/Group Combination Rules for Intermediate Examination 2026.

Group-"A" (Humanities)

- (1) All candidates must offer one subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi..
 - (2) All candidates must offer **4 optional subjects** from the following subject groups **(one), (two), (three) and (four)**.
 - (3) Only one subject can be offered from each subject (language) groups **(one), (two) and (three) but not more than two languages can be offered** as optional subject, this means that candidate can offer maximum three languages including Hindi/General Hindi language.
- (One)-** 103-Sanskrit, 104-Urdu, 105-Gujrati, 106-Punjabi, 107-Bengali, 108-Marathi, 109-Assames, 110-Oriya, 111-Kannada, 112-, 113-Sindhi, 114-Tamil, 115-Telugu, 116-Malyalam, or 121-Nepali.
- (Two)-** 117-English.
- (Three)-** 124-Pali, 125-Arabic, 126-Persian.
- (Four)-**
- (A)-**128-History; **(B)-**129-Geography; **(C)-**130-Civics; **(D)-**131-Mathematics; **(E)-**132-Military Science
- (F)-**133-Psychology or 134-Education or 137-Logic; **(G)-**135-Home Science; **(H)-**136-Economics
- (I)-**138-Music Vocal or 139-Music Instrumental or 150-Dancing; **(J)-**140-Drawing Design or 141-Drawing Technical or 149-Painting; **(K)-**142-Sociology; **(L)-**144-Computer; **(M)-**145-Wood Craft or 146-Book Craft or 147-Tailoring **(N)-** 174-Anthropology
- (O)-** 175-NCC (only in Humanities Group)

Group-"B" (Science)

- One subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi
- (1) Four subjects from the following groups. Only one subject can be offered from each subject group:-
 - (A)-** 151-Physics; **(B)-** 152-Chemistry; **(C)-** 153-Biology **OR** 131-Mathematics; **(D)-** 144-Computer
 - (E)-** Two language subject from code 103 to 126 from 'Humanities Group'.

Group "C" (Commerce)

- (1) 102-Gen.Hindi.
 - (2) Must offer subjects- 156-Accountancy and 157-Bussines Studies
 - (3) Two subjects from the following:-
- (A)-** 117-English; **(B)-** 131-Math; **(C)-** 136-Economics; **(D)-** 144-Computer

Group "F₁" (Agriculture Part-1)

- (1) One subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi.
 - (2) All candidates must offer subject 163-Agronomy, 164-Ag. Botany, 165-Physics and Climatology, 166-Agriculture Engineering, 167-Ag. Math and Elementary Statistics.
- Note:-** Examination of subject 101-Hindi or 102-Gen. Hindi will not be held in Agriculture Part-I. Examination of these subjects will be held on the basis of One-year course in Agriculture Part-II.

Group "F₂" (Agriculture Part-2)

- (1) One subject from 101-Hindi or 102-Gen.Hindi.
- (2) All candidates must offer subject 168- Agronomy Sixth, 169- Ag. Economics, 170- Ag. Zoology, 171- Animal Husbandry, 172- Ag. Chemistry.

Group "I" (Vocational)

- (1) Candidates must offer subject 102-Gen. Hindi.
- (2) Must offer subject 201 VOC GF Subject.
- (3) Must offer Any one Trade subject from subject code **202 to 245**.
- (4) Any one subject from 103-Sanskrit, 104-Urdu, 105-Gujrati, 106-Punjabi, 107-Bengali, 108-Marathi, 109-Assames, 110-Oriya, 111-Kannada, 113-Sindhi, 114-Tamil, 115-Telugu, 116-Malyalam, 117-English, 121-Nepali, 124-Pali, 125-Arabic, 126-Persian, 128-History, 129-Geography, 130-Civics, 131-Mathematics, 132-Military Science, 133-Psychology, 134-Education, 135-Home Science, 136-Economics, 137-Logic, 138-Music Vocal, 139-Music Instrumental, 140-Drawing Design, 141-Drawing Technical, 142-Sociology, 151-Physics, 152-Chemistry, 153-Biology, 174-Anthropology; 200-Optional Agronomy.

Note:- Subject Code 173-Moral,Yoga, Sports and Physical Education is Compulsory for all Regular and Private Candidates of Regulation-I(appearing in full subject exam).